न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

521

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016

निग - 1183 - II - 16

जगदीश राय उम्र 55 वर्ष बल्द स्व. नोनेलाल राय

निवासी ग्राम हथनी (पिपरिया) तहसील व जिला, दमोह .....आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

बल्लू राय उम्र 35 वर्ष बल्द भगवानदास राय

निवासी ग्राम हथनी (पिपरिया) तहसील व जिला, दमोह .....अनावेदक/उत्तरवादी

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल अभाना, तहसील व जिला, दमोह द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 03अ/12 वर्ष 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10/03/2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक, राजस्व निरीक्षक मण्डल अभाना तहसील व जिला दमोह द्वारा रा. प्र.क. 03अ/12 में पारित आदेश (प्रतिवेदन) दिनांक 10/03/2016 से दुखित एवं पीड़ित होकर अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर अपना यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि आवेदक ग्राम हथनी (पिपरिया) राजस्व मण्डल अभाना तहसील व जिला दमोह का स्थायी निवासी है । आवेदक के पिता नोनेलाल थे, जिनकी मृत्यु लगभग 45-46 वर्ष पूर्व हो चुकी है । ग्राम हथनी में एक लल्लू सींग बल्द सोने मरहट्टा रहा करते थे, लल्लू सींग की भी मृत्यु काफी वर्षों पूर्व हो चुकी है ।

जगदीश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1183-दो/2016 जिला दमोह जगदीश विरूद्ध बल्लू राय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक अभाना के प्रकरण क्रमांक 03/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10-03-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 31-01-19 सदस्य	